



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

अलीगढ़
अतरौली
191430030032071
123193004599

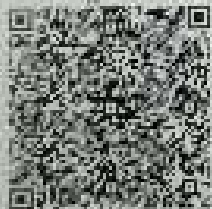
जारी दिनांक: 06/05/2019

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

श्री तनुज कुमार
श्री महेंद्र पाल सिंह
श्रीमती पुष्प अता जसावत
पोस्ट - बरला
बरला
अतरौली
अलीगढ़



उत्तर प्रदेश राज्य की काछी-कुशवाहा जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1998 की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री तनुज कुमार पूर्वोक्त अधिनियम 1998 (यथा संशोधित) की अनुसूची 2 (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा/अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2009 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 3000 लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2009 एवं शासनादेश संख्या 22/16/91 टी० सी०-111, दिनांक 20 अक्टूबर 2000 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम 1998 में बर्णित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: सामवेद शर्मा, वयस जन सेवा केंद्र
पद: सामवेद शर्मा, केन्द्र प्रभारी
स्थान : Mudhail, अतरौली, गंगौरी, मूडैल, अलीगढ़
दिनांक: 06/05/2019
हस्ताक्षर एवं मुहर

Digitally Signed by JA
PRAKASH On Personal
Signature
JAI
PRAKASH

सक्षम अधिकारी तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
अतरौली, अलीगढ़
दिनांक: 06/05/2019

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edharitapn.in> पर इसका पड़ो आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।